(भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3 उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

**अधिसूचना**

**सं. 7/2017-सीमाशुल्क (एडीडी)**

नई दिल्ली, दिनांक 17 फरवरी, 2017

सा.का.नि. (अ)- जहां कि, पदनामित प्राधिकारी ने, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 7304 के अन्तर्गत आने वाले सीमलेस ट्यूब्स, पाइप तथा लोहे के होलो प्रोफाइल, जोकि मिश्रधातु स्टील (कच्चा लोहे तथा स्टेनलेस स्टील से भिन्न) से बने हो और चाहे हॉट फिनिश्ड अथवा कोल्ड ड्रॉन अथवा कोल्ड रोल्ड हो, जिसका बाहरी ब्यास 355.6 एमएम अथवा 14" ओडी से अधिक न हो (जिन्हें यहां विषयगत वस्तुओं के रूप में संदर्भित किया गया है) तथा जिनका चीन गणवादी गणराज्य (जिसे यहां विषयगत देश के रूप में सदर्भित किया गया है) में मूल रूप से उत्पादन किया जाता है अथवा निर्यात किया जाता है और भारत में आयात किया जाता है, के मामले में भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-I, खंड-I में दिनांक 31 मार्च, 2016 को प्रकाशित अधिसूचना सं. 14/2/2015-डीजीएडी, के अंतर्गत प्रकाशित अपने प्रारंभिक निष्कर्ष में, विषयगत देशों में उत्पादित अथवा वहां से निर्यात की जाने वाली विषयगत वस्तुओं के आयात पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी;

और जहां कि, पदनामित प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्र सरकार ने, सा.का.नि. 527(अ), दिनांक 17 मई, 2016 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 18/2016-सीमाशुल्क(एडीडी), दिनांक 17 मई, 2016 के तहत विषयगत वस्तुओं पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाया था;

और जहां कि, पदनामित प्राधिकारी ने, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खण्ड I, में दिनांक 9 दिसंबर, 2016 को प्रकाशित अधिसूचना सं0 14/02/2015-डीजीएडी, दिनांक 9 दिसंबर, 2016 जो दिनांक 30 दिसंबर, 2016 की शुद्धिपत्र- अधिसूचना सं. 14/02/2015-डीजीएडी और दिनांक 12 जनवरी, 2017 की शुद्धिपत्र- अधिसूचना सं. 14/02/015 के साथ पठित है, में दिए गए अपने अंतिम निष्कर्षों के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि-

(i) उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं को संबंधित देश से उसकी औसत मूल्य से कम में भारत को निर्यात किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप वस्तुएं डंप हैं;

(ii) संबंधित देश से उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं की भरमार होने के कारण घरेलू उद्योग को अत्यधिक उठानी पड़ी है;

(iii) विषयगत देशों से विषयगत वस्तुओं के डंप आयात के कारण भारी नुकसान पहुंचा है,

और उन्होंने घरेलू उद्योग को हुए नुकसान से बचाने के लिए विषयगत देश में उत्पादित अथवा वहां से निर्यात की जाने वाली और भारत में आयात की जाने वाली विषयगत वस्तुओं के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है।

अब अत: सीमाशुल्क टैरिफ (डंप्ड मदों की पहचान, निर्धारण और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और नुकसान का निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार पदनामित प्राधिकारी के उक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात एततद्वारा विषयगत वस्तुओं, जिनका विवरण निम्न तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जिनका विनिर्देशन, कॉलम (8) में विनिर्दिष्ट है, जोकि कॉलम (2) की तदनुरूपी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट किए अनुसार सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्ष के अंतर्गत आते हैं, कॉलम (4) की तदनुरूपी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट किए अनुसार देश से उद्गमित है, कॉलम (5) की तदनुरूपी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट किए अनुसार देश से आयात की गई है, कॉलम (6) की तदनुरूपी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट किए अनुसार देश से उत्पादित है, कॉलम (7) की तदनुरूपी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट किए अनुसार निर्यातकों द्वारा निर्यात किए जाने के पश्चात भारत में आयात की गई है तो उन पर उस दर जोकि विषयगत वस्तु के लैंडेड मूल्य और कॉलम (9) की तदनुरूपी प्रविष्टि में उल्लिखित धनराशि के अंतर के बराबर है, बशर्ते की लैंडेड मूल्य, कॉलम (9) में विनिर्दिष्ट मूल्य से कम हो, कॉलम (11) की तदनुरूपी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और उक्त सारणी के कॉलम 10 की तदनुरूपी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट किए अनुसार मापन की इकाई के रूप में प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, अर्थात:-

सारणी

| **क्र. सं.** | **शीर्षक** | **वस्तुओं का विवरण** | **मूलत: उत्पादन का देश** | **निर्यात का देश** | **उत्पादक** | **निर्यातक** | **विनिर्देशन** ** | **राशि** | **इकाई** | **मुद्रा** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** | **(10)** | **(11)** |
| 1 | 7304 | सीमलेस ट्यूब्स, पाइप तथा लोहे के होलो प्रोफाइल, जोकि मिश्रधातु स्टील (कच्चा लोहे तथा | चीन जनवादी गणराज्य | चीन जनवादी गणराज्य | जिंआनग्सू चेंग्ड़े स्टील ट्यूब शेयर को. लिमि., चीन जनवादी गणराज्य | जिंआनग्सू चेंग्ड़े स्टील ट्यूब शेयर को. लिमि., चीन जनवादी गणराज्य | ए-1-1 | 1,194.60 | मी. टन | अमरीकी डॉलर |
| | | | | | | | ए-1-2 | 1,075.28 | मी. टन | अमरीकी डॉलर |
| | | | | | | | ए-1-3 | 1,383.44 | मी. टन | अमरीकी डॉलर |
| | | | | | | | ए-1-4 | 1,178.73 | मी. टन | अमरीकी डॉलर |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | स्टेनलेस स्टील से भिन्न) से बने हो और चाहे हॉट फिनिश्ड अथवा कोल्ड ड्रॉन अथवा कोल्ड रोल्ड हो, जिसका बाहरी ब्यास 355.6 एमएम अथवा 14" ओडी* से अधिक न हो | | | | | ए-1-5 | 961.33 | मी. टन | अमरीकी डॉलर |
| | | | | | | | ए-1-6 | 1,193.77 | मी. टन | अमरीकी डॉलर |
| | | | | | | | ए-1-7 | 1,462.00 | मी. टन | अमरीकी डॉलर |
| | | | | | | | ए-1-8 | 1,610.67 | मी. टन | अमरीकी डॉलर |
| 2 | वही | वही | चीन जनवादी गणराज्य | चीन जनवादी गणराज्य | योंग्जोहू चेंग्ड़े स्टील ट्यूब को. लिमि. | योंग्जोहू चेंग्ड़े स्टील ट्यूब को. लिमि. | ए-1-1 | 1,194.60 | मी. टन | अमरीकी डॉलर |
| | | | | | | | ए-1-2 | 1,075.28 | मी. टन | अमरीकी डॉलर |
| | | | | | | | ए-1-3 | 1,383.44 | मी. टन | अमरीकी डॉलर |
| | | | | | | | ए-1-4 | 1,178.73 | मी. टन | अमरीकी डॉलर |
| | | | | | | | ए-1-5 | 961.33 | मी. टन | अमरीकी डॉलर |
| | | | | | | | ए-1-6 | 1,193.77 | मी. टन | अमरीकी डॉलर |
| | | | | | | | ए-1-7 | 1,462.00 | मी. टन | अमरीकी डॉलर |
| | | | | | | | ए-1-8 | 1,610.67 | मी. टन | अमरीकी डॉलर |
| 3 | वही | वही | चीन जनवादी | चीन जनवादी | क्र.सं. 1 तथा 2 से अलग कोई अन्य | | ए-1-1 | 1,194.60 | मी. टन | अमरीकी डॉलर |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | गणराज्य | गणराज्य | संयोजन | | ए-1-2 | 1,075.28 | मी. टन | अमरीकी डॉलर |
| | | | | | | | ए-1-3 | 1,383.44 | मी. टन | अमरीकी डॉलर |
| | | | | | | | ए-1-4 | 1,178.73 | मी. टन | अमरीकी डॉलर |
| | | | | | | | ए-1-5 | 961.33 | मी. टन | अमरीकी डॉलर |
| | | | | | | | ए-1-6 | 1,193.77 | मी. टन | अमरीकी डॉलर |
| | | | | | | | ए-1-7 | 1,462.00 | मी. टन | अमरीकी डॉलर |
| | | | | | | | ए-1-8 | 1,610.67 | मी. टन | अमरीकी डॉलर |
| 4 | वही | वही | चीन जनवादी गणराज्य के अलावा कोई अन्य देश | चीन जनवादी गणराज्य | कोई भी | कोई भी | ए-1-1 | 1,194.60 | मी. टन | अमरीकी डॉलर |
| | | | | | | | ए-1-2 | 1,075.28 | मी. टन | अमरीकी डॉलर |
| | | | | | | | ए-1-3 | 1,383.44 | मी. टन | अमरीकी डॉलर |
| | | | | | | | ए-1-4 | 1,178.73 | मी. टन | अमरीकी डॉलर |
| | | | | | | | ए-1-5 | 961.33 | मी. टन | अमरीकी डॉलर |
| | | | | | | | ए-1-6 | 1,193.77 | मी. टन | अमरीकी डॉलर |
| | | | | | | | ए-1-7 | 1,462.00 | मी. टन | अमरीकी डॉलर |
| | | | | | | | ए-1-8 | 1,610.67 | मी. टन | अमरीकी |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | डॉलर |
| 5 | वही | वही | चीन जनवादी गणराज्य | चीन जनवादी गणराज्य के अलावा कोई अन्य देश | कोई भी | कोई भी | ए-1-1 | 1,194.60 | मी. टन | अमरीकी डॉलर |
| | | | | | | | ए-1-2 | 1,075.28 | मी. टन | अमरीकी डॉलर |
| | | | | | | | ए-1-3 | 1,383.44 | मी. टन | अमरीकी डॉलर |
| | | | | | | | ए-1-4 | 1,178.73 | मी. टन | अमरीकी डॉलर |
| | | | | | | | ए-1-5 | 961.33 | मी. टन | अमरीकी डॉलर |
| | | | | | | | ए-1-6 | 1,193.77 | मी. टन | अमरीकी डॉलर |
| | | | | | | | ए-1-7 | 1,462.00 | मी. टन | अमरीकी डॉलर |
| | | | | | | | ए-1-8 | 1,610.67 | मी. टन | अमरीकी डॉलर |

* वस्तुओं के विवरण में निम्नलिखित आयात शामिल हैं :

(i) कच्चे लोहे तथा स्टेनलेस से बने सीमलेस पाइप तथा ट्यूब

(ii) एएसटीएम ए 213/एएसएमई एसए 213 तथा एएसटीएम ए 335/ एसएमई एसए 335 या बीआईएस/ डीआईएन/ बीएस/ ईएन विशेषता वाले सीमलेस मिश्रधातु स्टील पाइप, ट्यूब तथा होलो प्रोफाइल्स या इसी के समतुल्य विशिष्टता से अलग कोई अन्य।

(iii) नॉन- एपीआई तथा प्रीमियम जॉइंट्स/ प्रीमियम कनेक्शन/ प्रीमियम थ्रेडेड ट्यूब तथा पाइप।

(iv) सभी 13 क्रोमियम (13 सीआर) ग्रेड ट्यूब्स तथा पाइप।

(v) ड्रिल कॅलर्स।

(vi) मुख्य नियंत्रक, विस्फोटक, पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन, भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित उत्पादकों के द्वारा गैस सिलेंडर के निर्माण हेतु इस्तेमाल किए गए हाई प्रेशन वाले सीमलेस स्टील पाइप/ ट्यूब

**

| विनिर्देशन | विवरण |
|---|---|
| ए-1-1 | ऑयल या गैस की ड्रिलिंग में प्रयुक्त एक किस्म की सीमलेस ट्यूबिंग, कॉर्बन/ गैर-मिश्रधातु/ मिश्रधातु, हॉट फिनिश्ड अथवा कोल्ड ड्रॉन अथवा कोल्ड रोल्ड, जिसका बाहरी व्यास 355.6 एमएम या 14" ओडी से अधिक न हो। |
| ए-1-2 | ऑयल या गैस की ड्रिलिंग में प्रयुक्त एक किस्म की कॉर्बन/ गैर-मिश्रधातु/सीमलेस आवरण, मिश्रधातु हॉड फिनिश्ड अथवा कोल्ड ड्रॉन अथवा कोल्ड रोल्ड जिसका बाहरी ब्यास 355.6 एमएम या 14" ओडी से अधिक न हो |
| ए-1-3 | सीमलेस मदर होलोस, कपलिंग स्टॉक, ब्लैंक्स/पप लॉइंट्स, कार्बन/ गैर-मिश्रधातु/मिश्रधातु, हॉट फिनिश्ड अथवा कोल्ड ड्रॉन अथवा कोल्ड रोल्ड, जिसका बाहरी ब्यास 355.6 एमएम या 14" ओडी से अधिक न हो। |
| ए-1-4 | ऑयल या गैस की ड्रिलिंग में प्रयुक्त एक किस्म की सीमलेस ड्रिल पाइप्स/ कार्बन/गैर- मिश्रधातु, हॉट फिनिश्ड अथवा कोल्ड ड्रॉन अथवा कोल्ड रोल्ड, जिसका बाहरी ब्यास 355.6 एमएम या 14" ओडी से अधिक न हो। |
| ए-1-5 | कॉर्बन/गैर मिश्रधातु स्टील के लाइन पाइपों सहित सीमलेस ट्यूब्स, पाइप तथा होलो प्रोफाइल्स, हॉट फिनिश्ड, जिसका बाहरी ब्यास 355.6 एमएम या 14" ओडी से अधिक न हो। |
| ए-1-6 | कॉर्बन/ गैर मिश्रधातु स्टील के लाइन पाइपों सहित सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के सीमलेस ट्यूब्स, पाइप तथा होलो प्रोफाइल्स, कोल्ड ड्रॉन या कोल्ड रोल्ड या कोल्ड रेड्यूस, जिनका बाहरी ब्यास 355.6 एमएम या 14" ओडी से अधिक न हो। |
| ए-1-7 | लाइन पाइपों तथा मिश्रधातु स्टील की बेयरिंग ट्यूब्स सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की सीमलेस ट्यूब्स, पाइप्स तथा होलो प्रोफाइल्स, जिनका बाहरी ब्यास 355.6 एमएम या 14" ओडी से अधिक न हो। |
| ए-1-8 | लाइन पाइपों तथा मिश्रधातु स्टील की बेयरिंग ट्यूब्स सहित सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की सीमलेस ट्यूब्स, पाइप्स तथा होलो प्रोफाइल्स, कोल्ड ड्रोन या कोल्ड रोल्ड या कोल्ड रिड्यूज्ड, जिसका बाहरी ब्यास 355.6 एमएम या 14" ओडी से |

| | |
|---|---|
| | अधिक न हो। |

2. इस अधिसूचना के तहत अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क, अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की तारीख, अर्थात 17 मई, 2016 से 5 वर्ष तक की अवधि (जब तक कि सामान्य समय से पूर्व रद्द, अधिक्रमित या संशोधित न किया जाए) के लिए प्रभावी होगा तथा इसका भारतीय मुद्रा में भुगतान किया जाएगा:

बशर्ते यह है कि उक्त प्रतिपाटन शुल्क, अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क के व्यपगत होने की तारीख अर्थात 17 नवंबर, 2016 से प्रारंभ होने की अवधि से, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पहले के दिन तक उद्ग्रहणीय नहीं होगा।

स्पष्टीकरण :- इस अधिसूचना के उद्देश्य हेतु-

क) आयातों के ''लैंडेड मूल्य'' का अर्थ निर्धारणीय मूल्य होगा जोकि सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत सीमाशुल्क द्वारा निर्धारित किया जाएगा तथा इसमें सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9 तथा 9क के तहत लगने वाले शुल्कों को छोड़कर सीमाशुल्क के सभी शुल्क शामिल होंगे।

ख) ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के उद्देश्य हेतु विनिमय की वह दर होगी, जिसे सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की समय-समय पर जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाएगा तथा विनिमय दर का निर्धारण करने की संबंधित तारीख, उक्त सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 46 के तहत आगम पत्र को प्रस्तुत करने की तारीख होगी।

[फा.सं. 354/47/2016-टीआरयू]

(क्षितेंद्र वर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार